संख्या-02/2022/12/58-1-2022-2/1(24)17

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 03 जनवरी, 2022

विषय: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-700/बा0वि0परि0/आं0बा0/ 2021-22, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021, जिसके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को वर्तमान में दिये जा रहे अतिरिक्त मानदेय क्रमश: रू0 1000.00, 750.00 एवं 500.00 में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से क्रमश: रू0 500.00, 500.00 एवं 250.00 की वृद्धि करते हुए इसे प्रतिमाह क्रमश: रू0 1500.00, 1250.00 व 750.00 किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-1401-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद-07-मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2022/12(1)/58-1-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।